



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-09072026-274295
CG-WB-E-09072026-274295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3543]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3543]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 8 जुलाई, 2026

का.आ. 3705(अ).—जबकि, पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खण्ड 6 (1) (iii) एवं खण्ड 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ.4577(ई) दिनांक 24 सितंबर, 2025 और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5(ई) दिनांक 18 दिसंबर, 2025, एस.ओ.310(ई) दिनांक 19 जनवरी, 2026, एस.ओ.1007(ई) दिनांक 24 फरवरी, 2026, एस.ओ.1493(ई) दिनांक 20 मार्च, 2026 तथा एस.ओ.2050(ई) दिनांक 20 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधन के माध्यम से कच्चे जूट बेलरों/व्यापारियों/डीलरों/एजेंसियों/कच्चे जूट के स्टॉकिस्टों को निर्देश दिए गए थे कि शून्य स्टॉक रखें तथा जूट के सामान बनाने वाले जूट मिलों/निर्माण इकाईयों को निर्देश दिए गए थे कि 45 दिनों के उपभोग से अधिक के कच्चे जूट का स्टॉक नहीं रखें।

नए जूट सीज़न की शुरुआत को देखते हुए तथा कच्चे जूट के अपेक्षित विपणन परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मैं, नीरज कुलहरि, उप पटसन आयुक्त एतद्वारा उपर्युक्त अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेता हूँ।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(46)/2019-I(ई)]

नीरज कुलहरि, उप पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Kolkata, the 8th July, 2026

S.O. 3705(E).—Whereas, vide order published in Gazette of India Part II, Section 3(ii) vide notification No. S.O. 4577(E) dated 24th September, 2025, modified later by notification no. S.O. 5(E) dated 18th December' 2025, S.O. 310 (E) dated 19th January' 2026, S.O. 1007(E) date 24th February' 2026, S.O. 1493 (E) dated 20th March, 2026 and vide S.O. 2050 (E) dated 20th April' 2026 in exercise of power conferred under Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 directing raw jute balers/traders/dealers/agencies/ stockiest of raw jute to maintain a NIL stock and Jute Mills/Manufacturing units of Jute Goods not to hold raw jute stock of more than 45 day's consumption.

In view of start of new jute season and after considering the expected market scenario of raw jute, I, Neeraj Kulhari, Deputy Jute Commissioner, hereby withdraw the afore-mentioned notifications with immediate effect.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(46)/2019-I(E)]
NEERAJ KULHARI, Dy. Jute Commissioner